न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

केस संख्या 241/2020 निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

दूनी प्रार्थना पत्र :

1. गंगाराम पुत्र देवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. मोनू पुत्र देवा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी आंवा आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीया–

बनाम

तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता देवा पुत्र गोरू जाति गुर्जर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 279 खसरा नम्बर 981 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम आंवा पटवार तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के पिता देवा पुत्र गोरू जाति गुर्जर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 152 खसरा नम्बर 877 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.39 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम आंवा पटवार हल्का आंवा तहसील दूनी जिला टङ्गेंक राज0 मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात खाता संख्या 279 मे प्रार्थीगण के पिता का नाम सही रूप से देवा पुत्र गोरू गुर्जर राजस्व रिकार्ड मे अंकित है परन्तु खाता संख्या 152 में वर्णित आराजीयात में सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलती से गोरू पुत्र देवा गुर्जर अंकित हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम देवा पुत्र गोरू गुर्जर है तथा प्रार्थी के पिता के अन्य सभी

दस्तावेजात मे प्रार्थीगण के पिता का नाम देवा पुत्र गोरू गुर्जर ही है। देवा, गोरू का पिता नही है बल्कि गोरू का पुत्र है तथा गांव मे पुत्र देवा गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति नही है ऐसी स्थिती मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम दुरूस्त कर गोरू पुत्र देवा गुर्जर के बजाय देवा पुत्र गोरू गुर्जर निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोक राज0 अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीगण के पिता देवा पुत्र गोरू गुर्जर की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसान प्रार्थीगण है तथा प्रार्थीगण के अलावा मृतक देवा के अन्य कोई वारिस नही है। प्रार्थीगण के पिता के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थीगण उक्त आराजीयात बाबत फोती का नामांतकरण अपने नाम नही खुलवा पर रहे है तथा केन्द्र/राजस्व की योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रह है जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी कठिनाईया का सामना करना पड़ रहा है तथा बैंक से ऋण भी प्राप्त नही कर पा रहे है इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे पंश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात खाता संख्या 152 वाके ग्राम आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीगण के पिता का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे गोरू पुत्र देवा गुर्जर के बजाय देवा पुत्र गोरू गुर्जर निवासी ग्राम आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने कृपा करें।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः— चरण प्रथम स्वीकार है। ग्राम आंवा तहसील दूनी के खाता 279 रकबा0.20 है0 देवा पुत्र गोरू के नाम दर्ज है। चरण नं. 2 चरण द्वितीय स्वीकार है। जमाबन्दी खाता 152 रकबा 0.44 है0 भूमि गोरू पुत्र देवा के दर्ज है। बिन्दु नं. 3 वादीगण का कथन है कि मेरे पिताजी का नाम देवा पुत्र गोरू है। बल्कि गोरू पुत्र देवा नही है। जबकि वादी द्वारा देवा पुत्र गोरू के दोनो खातो के प्रमाण स्वय उपलब्ध करावे। बिन्दु स्वीकार नही है। चरण नं. 4 वादी द्वारा देवा पुत्र गोरू के वारिसान स्वय सिद्ध करे। बिन्दु स्वीकार नही है। बिन्दु 5 न्यायालय से संबन्धित है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों से खाता संख्या 152 में वर्णित आराजी

सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम गोरू पुत्र देवा दर्ज रिकॉर्ड हो गया इसकी वजह से प्रार्थीगण जमीन से सम्बन्धित केन्द्र/ राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में हुई सहवन से गलती को शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 279 के ख. नं. 981 में प्रार्थीगण के पिता का नाम देवा पुत्र गोरू दर्ज राजस्व अभिलेख है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 152 के ख. नं. 877, 1186 में व जमाबन्दी सम्वत 2024–27, 2031–34 में प्रार्थीगण के पिता का नाम गोरू पुत्र देवा अंकित है। प्रार्थीगण के अनुसार सही नाम देवा पुत्र गोरू है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र व बैंक की डायरी व देवा के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 02.01.2018 पेश किये है, जिनमें प्रार्थीगण के पिता का नाम देवा पुत्र गोरू जाति गुर्जर अंकित है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिको से प्रार्थीगण के पिता का नाम लिपिकीय त्रुटिवश उल्टा लिखने में आ गया, जिसको शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूनी को जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 152 के ख. नं. 877 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 1186 रकबा 0.39 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम आंवा तहसील दूनी में प्रार्थीगण के पिता का नाम गोरू पुत्र देवा के बजाय देवा पुत्र गोरू दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली